राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	आलोच्य आदेश की दिनांक एवं अनुलग्नक	अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	1247/2023 ओम प्रकाश	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, अजमेर (राज.)। 4. ब्लॉक प्रारंभिक अधिकारी, पीसांगन, अजमेर (राज.)।	12.04.2023	20.03.2020 (अनुलग्नक–6)	श्री प्रदीप माथुर, अभिभाषक एवं श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता
2.	1248/2023 राजेन्द्र प्रसाद	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर (राज.)। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, अजमेर (राज.)। 5. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, मसूदा, अजमेर (राज.)। 6. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रावला का बडिया, मसूदा अजमेर।		08.12.2022 (अनुलग्नक–7)	
3.	1249/2023 उषमा मल्होत्रा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 एवं 4		08.12.2022 (अनुलग्नक–8)	
4.	1643/2023 संजय कुमार	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 एवं 4 5. प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, Meel Chhetra Beawar, अजमेर (राज.)।	03.07.2023	–	
5.	1829/2024 भानू सिंह रावत	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 एवं 4 5. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भवानी खेडा, ब्लॉक श्रीनगर, अजमेर (राज.)।	21.05.2024	–	

आदेश की दिनांक : 19.06.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1247/2023 ओम प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख

शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.03.2020 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4800 का लाभ तथा दिनांक 28.07.2014 से ग्रेड पे 5400 का लाभ प्रदान किया जावे एवं संशोधित वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण करते हुये अपीलार्थी को समस्त लाभ मय 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के प्रावधानानुसार आदेश दिनांक 30.03.1992 के द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी और राज्य सरकार के आदेशों की पालना में अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 15.10.1997 के द्वारा समायोजित किया गया, जिनका वेतनमान समान था। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 05.07.2013 को राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 के अंतर्गत ग्रेड पे परिवर्तित करते हुए अध्यापक ग्रेड तृतीय की ग्रेड पे 3600 की गई। 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम ए.सी.पी. 4200 की गई। 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 4800 ग्रेड पे निर्धारित की गई तथा 27 वर्षीय ए.सी.पी. पर 5400 ग्रेड पे निर्धारित की गई। 18 वर्ष पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.2006 से ग्रेड पे 3600 की गई, जिसे दिनांक 01.07.2013 से पुनर्निधारित करते हुये ग्रेड पे 4200 की गई और तृतीय चयनित वेतनमान दिनांक 01.07.2014 से ग्रेड पे 4800 की गई। अपीलार्थी को ग्रेड पे 4800 का लाभ प्रदान किया गया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 20.03.2020 के क्रम में अपीलार्थी के वेतनमान को ग्रेड पे 4800 से घटाकर ग्रेड पे 4200 का लाभ दिनांक 01.07.2013 से दिया गया और अपीलार्थी के विरूद्ध वसूली आदेश जारी कर दिया गया, जो गलत निर्धारण किया गया। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा गलत निर्धारण करते हुये माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2748/2015 भरतराज चौधरी बनाम राजस्थान व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.04.2018 के विपरीत जाकर आदेश जारी

किया। उनका कथन है कि अपीलार्थी के साथ अन्य अध्यापक जो कार्य कर रहे हैं उनको ग्रेड पे 4800 का लाभ दिनांक 01.07.2013 से दिया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.03.2020 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4800 का लाभ तथा दिनांक 28.07.2014 से ग्रेड पे 5400 का लाभ प्रदान किया जावे एवं संशोधित वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण करते हुये अपीलार्थी को समस्त लाभ मय 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से बहस की है कि अपीलार्थी को नियमानुसार अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद के चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है और नियमानुसार अधिक भुगतान होने के आधार पर वसूली आदेश जारी किये गये हैं, जिसमें कोई नियमों का उल्लंघन नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियम, 1971 के अंतर्गत दिनांक 30.03.1992 को हुई थी और आदेश दिनांक 15.10.1997 के द्वारा अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर अपीलार्थी को समायोजित किया गया। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड पे 3600 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. की ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 रुपये है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं, अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है। जो प्रयोगशाला सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित हो गए हैं वे अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचनानुसार इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित समस्त अपीलें स्वीकार की जाती हैं और उक्त शीर्षक की तालिका में अंकित आलोच्य आदेश को उक्त अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थीगण की 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवायें पूर्ण होने पर नियमानुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 प्रदान किया जावे और यदि उक्त नियमानुसार उक्त ग्रेड पे प्रदान की गई हैं तो उक्त मामले के संबंध में अपीलार्थीगण से कोई राशि वसूल नहीं की जावे और यदि उनसे कोई राशि वसूल की गई हो तो उक्त राशि उन्हें तीन माह की अवधि में लौटाई जाए। यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण को पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्रत्याहृत (withdraw) नहीं किए जाएं। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह सुनिश्चित करे।

मूल आदेश अपील संख्या 1247/2023 ओम प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य